राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2398 /2021 दिनांक :29.10.2021

श्रीमती अंकिता दायमा (RJ1104), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पूर्व), अजमेर को दिनांक 08.11.2021 से 06.05.2022 तक ***180*** दिवस का *मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान)* दिनांक 03.11.2021 से 07.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मुकेश कुमार मीणा (RJ1205***)***, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पश्चिम), अजमेर को श्रीमती अंकिता दायमा के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पूर्व), अजमेर के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

01. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
02. ***श्री मुकेश कुमार मीणा (*** RJ1205***)***, जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पूर्व), अजमेर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

28.10.21

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांकः–स्था.बी.2 (4)/92/2016/ 6839 दिनांक 29.10.2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

01. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
02. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 28419 दिनांक 22.10.2021 के सन्दर्भ में ।
03. **श्रीमती अंकिता दायमा** (RJ1104), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पूर्व), अजमेर ।
04. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पूर्व), अजमेर ।
05. ***श्री मुकेश कुमार मीणा (*** RJ1205***)***, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पश्चिम), अजमेर ।
06. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (पश्चिम), अजमेर ।
07. संबंधित कोषालय।
08. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार